आपदा प्रभावित परिवारों की महिला लाभार्थियों हेतु निःशुल्क गैस कनैक्शन वितरण

''एल0पी0जी0 ग्रामीण गैस कनैक्शन योजना एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों में टी0एच0आर0 की विकेन्द्रित व्यवस्था का शुभारम्भ''

दिनांक 15 दिसम्बर, 2013 को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा टेक होम राशन व्यवस्था विकेन्द्रीत योजना का शुभारम्भ तथा उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना के तहत् चलायी जा रही एल0पी0जी0 ग्रामीण गैस कनैक्शन योजना के अन्तगर्त कर्णप्रयाग विकासखण्ड जनपद चमोली में आपदा पीड़ित परिवारों की महिला लाभार्थीयो को निःशुल्क एवं अन्य लाभार्थियों को 40% अनुदान के साथ एल0पी0जी0 गैस कनैक्शन का वितरण मा0 श्रीमति अमृता रावत, मंत्री महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के कर कमलों द्वारा मा0 श्री सतपाल महाराज, सांसद गढ़वाल, मा0 डा0 अनसूया प्रसाद मैखुरी, डिप्टी स्पीकर/विधायक कर्णप्रयाग की गरिमामय उपस्थिति में किया गया।

विभाग द्वारा आंगनबाड़ी के लाभार्थियों को स्थानीय महिलाओं के माध्यम से अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराये जाने की एक पहल टेक होम राशन व्यवस्था विकेन्द्रीत योजना के माध्यम से की गयी है। जिसके अन्तर्गत महिलाओं एवं बच्चों को माता समिति के माध्यम से खाद्यान सामग्री लाभार्थियों को उपलब्ध करायी जायेगी। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय खाद्य सामग्री का उपयोग अनुपूरक पोषाहार में करते हुए महिलाओं को पोषाहार तैयार कराने में सक्षम बनाना है। भविष्य में इस व्यवस्था का संवर्द्धन करते हुए स्थानीय स्तर पर ही **खाद्य प्रोसेसिंग यूनिट** भी लगाये जाने का प्रस्ताव है। जिससे बच्चों एवं महिलाओं को अच्छा पोषाहार प्राप्त होने के साथ–साथ महिलाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होगे। जल्द ही इस योजना का लाभ पूरे राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों में मिलेगा।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना के तहत् महिलाओं के कार्यबोझ को कम करते हुए उन्हे प्रात्साहन स्वरूप एल0पी0जी0 ग्रामीण गैस कनैक्शन योजना से जोडा जा रहा है, जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं लाभकारी योजना है। कमशः 07 जनपदों पौडी, टिहरी, पिथौरागढ, नैनीताल, उत्तरकाशी एवं रूद्रप्रयाग में उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक के माध्यम से चलायी जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आपदा प्रभावित परिवारों की महिलाओं को निशुल्क एवं अन्य को 40 प्रतिशत अनुदान के साथ एल0पी0जी0 गैस कनैक्शन वितरण करना है। इसके अन्तर्गत हमारा प्रयास है कि सभी महिलाएं जो आपदा से प्रभावित हुई है या आपदा के पश्चात् असहाय निराश्रित हो चुकी है वो इस योजना से लाभान्वित हो सके। इस योजना के तहत् लगभग रू0 1,45,00,000/- (रू0 एक करोड़, पैंतालीस लाख मात्र) की अनुदान धनराशि स्वीकृत की गयी है।